

झारखण्ड सरकार
जल संसाधन विभाग

आदेश

श्री जितेन्द्र सिंह, तत्कालीन कनीय अभियंता, सिंचाई प्रमण्डल, गोड्डा शिविर-महगामा के विरुद्ध विनिर्दिष्ट आरोपों के लिए सिविल सेवा (वर्गीकरण, नियंत्रण एवं अपील) नियमावली- 1930 के नियम- 55 के तहत विभागीय संकल्प ज्ञापांक- 2753 दिनांक- 21.10.2008 द्वारा विभागीय कार्यवाही संचालित की गयी।

2. श्री सिंह दिनांक- 31.01.2016 को सेवानिवृत्त हो जाने के उपरान्त उपरोक्त विभागीय कार्यवाही को झारखण्ड पेंशन नियमावली के नियम- 43बी में सम्परिवर्तित किया जाता है।

80 L

(विनय कुमार)

सरकार के अवर सचिव

ज्ञापांक : 9217 राँची / दिनांक 12.05.17

प्रतिलिपि :- उप सचिव (प्र०), जल संसाधन विभाग, झारखण्ड, राँची/अवर सचिव (प्रभारी प्रशाखा-3), जल संसाधन विभाग, झारखण्ड, राँची/श्री जितेन्द्र सिंह, तत्कालीन कनीय अभियंता, सम्प्रति सेवानिवृत्त, पता-भोजपुर(आरा) बिहार, ग्राम+पोस्ट-गीधा, थाना-कोईलबर, जिला-भोजपुर (आरा)/वेब मैनेजर, जल संसाधन विभाग, झारखण्ड, राँची को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

Vinay Kumar
11/05/17

(विनय कुमार)

सरकार के अवर सचिव